डिक्री

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
## पीठासीन अधिकारी :-श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0नं0 – 125/2024
अनवान : –

1. सावित्रीदेवी पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी शिवपुरावास तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन विभाग खण्ड भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेश गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री राज पैरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 4 बीएचडी के मु0 न0 39 के किला न0 1/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, 2/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला 3/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला व मु0 न0 40 के किला न0 5/2 में 0.025है0 गै0 मु0 खाला, कुल 0.100है0 गै0 मु0 खाला दर्ज भूमि को निरस्त/कलमजन किया जाकर वादीया सावित्रीदेवी के नाम खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/2/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:42:36 IST
Reason: SelfAttested

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
### पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० – 125/2024
अवधान : –

1. सावित्रीदेवी पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी शिवपुरावास तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. अधिशाषी अभियंता जल संसाधन विभाग खण्ड भादरा।

:—प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :— श्री राजेश गोदारा वादी
श्री राज पैरोकार प्रतिवादी

**निर्णय** दिनांकः 14/2/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 4 बी0एच0डी0 के खाता सं0 115/110 के मु0 न0 25 के किला न0 25 की 0.253है0 नहरी, मु0 न0 26 के किला न0 19 ता 23 प्रत्येक किला की 0.253है0 नहरी, मु0 न0 39 के किला न0 1/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 1/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 2/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 2/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 3/1 की 0.228है0 नहरी, किला न0 3/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, मु0 न0 40 के किला न0 5/1 की 0.228है0, किला न0 5/2 की 0.025है0 गै0 मु0 खाला, किला न0 6 की 0.253है0 नहरी, कुल रकबा 2.7830है0 जिसमें से नहरी 2.6830है0, गै0 मु0 खाला 0.100है0 कृषि भूमि प्रार्थीया सावित्रीदेवी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थीया अपनी खातेदारी कृषि भूमि को उपयोग उपभोग में ले रही है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि में पहले सिंचाई विभाग भादरा द्वारा बनाये गये चक प्लान अनुसार सिंचाई होती थी, लेकिन वर्तमान में सीएडी विभाग द्वारा नया चक प्लान बनाया गया है, नये चक प्लान के मुताबिक प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि मु0 न0 39 के किला न0 1/2, 2/2, 3/2 प्रत्येक किला में 0.025है0 गै0 मु0 खाला व मु0 न0 40 के किला न0 5/2 में 0.025है0 गै0 मु0 खाला स्वीकृत नहीं है लेकिन जमाबंदी में उक्त किलों में सिंचाई विभाग द्वारा गै0 मु0 खाला स्वीकृत करवाया गया है जिसे हटवा कर प्रार्थीया अपने नाम दर्ज करवा पाने की कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:42:36 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी 1 राज पैरोकार की ओर से जवाब पेश किया गया तथा प्रतिवादी सं0 2 अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

Kalpit

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि में पहले सिंचाई विभाग भादरा द्वारा बनाये गये चक प्लान अनुसार सिंचाई होती थी, लेकिन वर्तमान में सीएडी विभाग द्वारा नया चक प्लान बनाया गया है, नये चक प्लान के मुताबिक प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि मु0 न0 39 के किला न0 1/2,2/2, 3/2 प्रत्येक किला में 0.025है0 गै0 मु0 खाला व मु0 न0 40 के किला न0 5/2 में 0.025है0 गै0 मु0 खाला दर्ज है लेकिन मौके पर कोई खाला नहीं है व ना ही खाला की आवश्यकता है क्योंकि सिंचाई विभाग द्वारा संशोधित कर स्वीकृत नये चक प्लान में अन्य जगह पर नया खाला स्वीकृत किया है इसलिए पुराने खालों की जरूरत नहीं है लेकिन राजस्व रिकार्ड में आज भी चक 4 बीएचडी के मु0 न0 39 के किला न0 1/2,2/2, 3/2 प्रत्येक किला में 0.025है0 गै0 मु0 खाला व मु0 न0 40 के किला न0 5/2 में 0.025है0 गै0 मु0 खाला दर्ज है जिससे वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादीया उक्त गै0 मु0 खाला की भूमि को अपने नाम से मुमकिन दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा नवीनतम जमाबंदी का अवलोकन किया गया वादी का कथन है कि वादभूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम दर्ज है अधिशाषी अभियंता जल संसाधन विभाग भादरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व मौका रिपोर्ट तहसीलदार आदि का अवलोकन किया गया। वादीया का कथन है कि चक 4 बीएचडी के मु0 न0 39 के किला न0 1/2,2/2, 3/2 प्रत्येक किला में 0.025है0 गै0 मु0 खाला व मु0 न0 40 के किला न0 5/2 में 0.025है0 गै0 मु0 खाला दर्ज है लेकिन सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार नये सीएडी चक प्लान द्वारा चक 4 बीएचडी के मु0 न0 39 के किला न0 1/2,2/2, 3/2 प्रत्येक किला में 0.025है0 गै0 मु0 खाला व मु0 न0 40 के किला न0 5/2 में 0.025है0 उक्त किलों में कोई खाला दर्ज नहीं है और ना ही मौके पर चल रहा है इसलिए चक 4 बीएचडी के मु0 न0 39 के किला न0 1/2,2/2, 3/2 प्रत्येक किला में 0.025है0 गै0 मु0 खाला व मु0 न0 40 के किला न0 5/2 में 0.025है0 खाला की भूमि को मुमकिन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा तसीलदार राजस्व भादरा की मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में चक 4 बीएचडी के मु0 न0 39 के किला न0 1/2,2/2, 3/2 प्रत्येक किला में 0.025है0 गै0 मु0 खाला व मु0 न0 40 के किला न0 5/2 में 0.025है0 गै0 मु0 खाला दर्ज है लेकिन उक्त रकबे पर कोई खाला चालू नहीं है अब इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड चक 4 बीएचडी के मु0 न0 39 के किला न0 1/2,2/2, 3/2 प्रत्येक किला में 0.025है0 गै0 मु0 खाला व मु0 न0 40 के किला न0 5/2 में 0.025है0 गै0 मु0 खाला दर्ज है। जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उक्त किलों में ना ही तो खाला दर्ज है ना ही खाला चालू है तथा तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट अनुसार उक्त किलों पर कोई खाला चालू नहीं है। इसलिए वादीया की भूमि में से गै0 मु0 खाला/रास्ता के लिए कम की गई भूमि को पुनः वादीया अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:42:36 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार भादरा एवं अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मुताबिक उक्त किलों में वर्तमान में कोई खाला दर्ज नहीं है व ना ही चालू है एवं नये सीएडी प्लान के अन्तर्गत भी उक्त किलों में खाला नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीया

साक्ष्य सबूतों, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जल संसाधन विभाग भादरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीया साबित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

अतः अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा एवं तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मोजा चक 4 बीएचडी के मु० न० 39 के किला न० 1/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, 2/2 की 0.025है० गै० मु० खाला 3/2 की 0.025है० गै० मु० खाला व मु० न० 40 के किला न० 5/2 में 0.025है० गै० मु० खाला, कुल 0.100है० गै० मु० खाला दर्ज भूमि को निरस्त/कलमजन किया जाकर वादीया सावित्रीदेवी के नाम खातेदारी दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14/2/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी, (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.25 16:42:36 IST
Reason: SelfAttested